

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री. यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 09.12.25

क्रमांक रीडर/2025/9636  
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कालूराम 2 मानाराम  
पिसरान देरामाराम निवासी  
सिद्धाणियो की ढाणी,  
कगाऊ तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 ताजाराम 2 मूलाराम पिसरान गंगाराम 3 खेताराम 4 गुमनाराम 5  
मानाराम 6 हेमाराम पिसरान फुसाराम 7 वालाराम 8 सोनाराम  
पिसरान नवलाराम 9 अमराराम 10 गोकलाराम 11 चुतराराम 12  
चेनाराम 13 नगाराम 14 पनाराम पिसरान रायमलराम 15 चैनी पत्नि  
अचलाराम 16 चोलाराम पुत्र लाखाराम 17 जेठाराम पुत्र पेमाराम 18  
जोगाराम पुत्र देदाराम 19 देराराम पुत्र पेमाराम 20 धीराराम पुत्र  
अचलाराम 21 नेनू पत्नि लाखाराम 22 प्रहलादराम 23 पूराराम  
पिसरान डूंगाराम 24 बबरीदेवी पत्नि पेमाराम 25 साजनराम 26  
हुकमाराम पिसरान लाखाराम 27 दुर्गाराम पुत्र पदमाराम निवासी  
सिद्धाणियो की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर। 28  
प्रध्यानाध्यापक, रा.प्रा.वि. सिद्धाणियो की ढाणी पंचायन समिति  
सिणधरी जिला बालोतरा 29 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-376/2025

दिनांक- 02/12/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सिद्धाणियो की ढाणी पटवार हल्का कगाऊ तहसील व जिला  
बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 186/73 रकबा 33.8721 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।  
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित  
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने  
वावत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ  
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 09.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/9637-40

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर  
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण कालूराम पुत्र देरामाराम निवासी सिद्धाणियो की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण ताजाराम पुत्र गंगाराम निवासी सिद्धाणियो की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

